कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-28.09.2024

विषयः- थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा वाहन चोर भोला चौधरी गिरफ्तार, अभियुक्त के पास से चोरी का 01 अदद टोटो (ई-रिक्शा) बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0444/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 व बढोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त भोला चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधरी निवासी प्लाट नं0-156/3 पंचकोशी रोड़ दनियालपुर थाना सारनाथ वाराणसी को आज दिनांक-28.09.2024 को समय करीब 11.20 बजे पुरानापुल थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से चोरी का 01 अदद टोटो (ई-रिक्शा) बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी/बरादमगी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक-27.09.2024 को वादी मुकदमा श्री रवि किशन पुत्र स्व0 लालजी निवासी-ग्रा0 पिसौर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि मैं एक टोटो रिक्शा का चालक हूँ और मेरे वाहन का नम्बर UP65 PT 5392 है। आज मैं अपनी टोटो लेकर सुबह करीब 6 बजे पंचकोशी आया था तथा हलुवाई की दुकान के थोड़ा आगे खड़ी करके नाश्ता करने लगा और इसी बीच मेरा टोटो चोरी हो गया, मैं तुरन्त इसको खोजने लगा और जब मैं चन्द्रा चौराहे के पास पहुँचा तो देखा कि मेरा टोटो प्रतिवादी भोला चौधरी चुराकर सवारी लाद रहा था, जिसके आधार पर थाना सारनाथ मे मु0अ0सं0 0444/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0प्र0 रामअजोर द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

भोला चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधरी निवासी प्लाट नं0-156/3 पंचकोशी रोड़ दनियालपुर थाना सारनाथ वाराणसी, उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

पुरानापुल थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से, दिनांक-28.09.2024 समय करीब 11.20 बजे।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद टोटो चोरी का वाहन सं0-UP65 PT 5392 बरामद।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 0444/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 व बढोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1-उ0नि0प्र0 रामअजोर थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

2-का0 जयविन्द थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

3-का0 कृष्ण मुरारी यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।